



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/ 2435/प्र.मं.आ.यो.-(ग्रा.)/जि.पं./स्था./भर्ती/2016-17

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23/08/2017

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक/ 3282/आर 1760/22-1/2016 नया रायपुर, दिनांक 22.10.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत विकास खण्ड स्तर पर विकासखण्ड समन्वयक एवं सहायक ग्रेड-03 के स्वीकृत पद (संविदा) की पूर्ति हेतु निम्नानुसार निर्धारित शर्तों एवं मापदंडों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से समस्त वांछित प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, पिन 494449 के पते पर दिनांक 11.09.2017 समय सांय 05:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

रिक्त पदों का विवरण

| क्र | पदनाम | रिक्त पदों की संख्या | अनारक्षित | | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | | महायोग | | | | |
|--------|-------------------|----------------------|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----------------|-------|-----------|----------|-----|--------|-------|-----------|----------|-----|
| | | | मुक्त | महिला | भू.पू.सै. | निःशुक्त | योग | मुक्त | महिला | भू.पू.सै. | निःशुक्त | योग | मुक्त | महिला | भू.पू.सै. | निःशुक्त | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | विकासखण्ड समन्वयक | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | सहायक ग्रेड-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| योग :- | | | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत विकासखण्ड समन्वयक एवं सहायक ग्रेड-03 (संविदा) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता व मेरिट हेतु अंक का निर्धारण :-

| पदनाम | संविदा वेतन प्रतिमाह (एकमुश्त) | शैक्षणिक योग्यता | मेरिट हेतु अंक का निर्धारण | |
|-------------------|--------------------------------|---|---|----|
| विकासखण्ड समन्वयक | 28080/- | द्वितीय श्रेणी में एम.बी.ए./बी.ई.सिविल | हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए | 30 |
| | | | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए | 40 |
| | | | कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक का होगा। | |
| सहायक ग्रेड-03 | 12375/- | 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा अर्त्तीण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. डाटाएन्ट्री-ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा-एन्ट्री की गति 8000 की-डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) | हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए | 60 |
| | | | अनुभव एक वर्ष का 2 अंक | 10 |
| | | | कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 30 अंक का होगा। | |

नियम व शर्तें :-

- आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11.09.2017 समय 5:30 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र साधारण डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति एवं स्वयं पता लिखा 02 लिफाफा प्रत्येक में 5-5 रुपये का डाक टिकट चसपा होना अनिवार्य है। तथा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये।
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिये। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

5. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा। सहायक ग्रेड-03 पद हेतु दन्तेवाड़ा जिला का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
6. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
7. यह संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 31.12.2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
8. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
12. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट के आधार पर सूची बद्ध किया जाकर शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
13. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
17. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
18. आवेदक जिनकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
19. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
20. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
21. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला दन्तेवाड़ा की सूचना पटल एवं वेबसाइट <http://www.dantewada.gov.in> से अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

- पृ. क्रमांक/प्रतिलिपि :- /प्र.मं.आ.यो.-(ग्रा.)/जि.पं./स्था./भर्ती/2016-17 दन्तेवाड़ा, दिनांक / /2017
- (1) अपर विकास आयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय ब्लाक-एक, कक्ष क्रमांक-43 (CIV) इन्द्रावती भवन नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - (2) कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - (3) उप संचालक, जनसम्पर्क कार्यालय दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
 - (4) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी NIC दन्तेवाड़ा को उक्त विज्ञापन जिले के वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।
 - (5) कार्यालयीन सूचना पटल हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
विकासखण्ड समन्वयक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

नवीनतम पासपोर्ट
फोटो सक्षम
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :-.....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-.....
(अंग्रेजी में) :-.....
3. पिता/पति का नाम :-.....
4. अ. जन्मतिथि अंको में :-.....
ब. शब्दों में :-.....
5. दिनांक 01.01.2017 को आयु वर्ष:-.....माह:-.....दिन:-.....
6. जन्म स्थान ग्राम/नगर:-.....तहसील.....
जिला :-.....
7. अ. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :-.....
:-.....
:-..... पिन
- ब. स्थायी पता :-.....
:-.....पिन.....
मोबाइल नम्बर.....
8. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित :-.....
पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित :-.....
प्रति संलग्न करें)
9. क्या अधिकतम आयु सीमा छुट :-.....
चाहते हैं? यदि हां, तो किसी श्रेणी से उल्लेख करें,
10. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? :-.....
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मुल निवास
प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य के :-.....
लिये घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग
का सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
12. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं :-.....
(यदि हां तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड
का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

13. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :-.....
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
14. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? :-.....
हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
15. क्या आवेदक विवाहित है? हां/नहीं :-.....
16. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :-.....
17. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :-.....
शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

| क्र. | परीक्षा का नाम | बोर्ड / वि.वि. का नाम | विषय | उत्तीर्ण होने का वर्ष | प्राप्तांक / पूर्णांक | प्रतिशत |
|------|----------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

18. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं :-.....
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण :-.....
यदि हो तो, अनुभव का विवरण :-.....
19. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है, अथवा किसी न्याया में निराकृत हो चुका है? हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। :-.....

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम.....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम.....